Conduct Of Election Rules, 1961

(Statutiry Rules and Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(for use in general Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly Of RAJASTHAN state From (042) SHAHPURA Assembly constituency.

in pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961,

I declare that-

Sh. Alok Beniwal
Village - Nayan kalwaniyo ka bas
Tehsil Shahpura, Distt. Jaipur
Sponsored by

Independent

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: JAIPUR

Date: 11.12.2018

Signature of RO

(Rajendra Singh Chandawat)

Returning Officer

विधान समा क्षेत्र साहपुरा (42) SDM साहपुरा (जयपुर)

निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961

(काूननी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

नियम 64 देखें

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। शाहपुरा (042) निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा की लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हँ कि—

नाम अभ्यर्थी – श्री आलोक बेनीवाल पता ग्राम नायन, कलवानियों का बास, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

जो निर्दलीय द्वारा खड़े किये गये। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान— **जयपुर** दिनांक— 11.12.2018 (राजेन्द्र सिंह चांदावत) रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) 042 शाहपुरा (जयपुर)

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (42) S.D.M. शाहपुरा (जयपुर)